राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4113/2025

अशोक कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 01.09.2025
सुनवाई की दिनांक : 11.09.2025
आदेश की दिनांक : 11.09.2025
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2018 में अध्यापक एल–2 अंग्रेजी के पद पर हुई। अपीलार्थी राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खाखला ब्लॉक सराडा में कार्यरत था उक्त समय में उक्त विद्यालय को महात्मा गांधी विद्यालय होने व अन्य विद्यालयों में परिवर्तन होने के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक भीलवाडा ने एक सूची अधिशेष कर्मचारियों की जारी की जो महात्मा गांधी विद्यालय होने से पूर्व कार्यरत थे। उक्त सूची में क्रमांक 10 पर अपीलार्थी का नाम दर्शाया गया है और उसमें अपीलार्थी को अधिशेष माना गया है। (अनुलग्नक–2) उक्त आदेश की पालना में चुनौती आदेश दिनांक 22–7–2025 द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खांखला पूर्व नाम राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खांखला से अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाखोला ब्लॉक सराडा जिला भीलवाडा में पदस्थापन किया गया। उक्त आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया था कि कार्मिक को 24–7–2025 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। चुनौती आदेश दिनांक 22–7–2025 की पालना में आदेश में दी गयी अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण की शर्त के कारण अपीलार्थी ने दिनांक 23–7–2025 को मध्यान्ह पश्चात कार्यग्रहण कर लिया। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी प्रारम्भिक शिक्षा का कार्मिक है और वह पूर्व विद्यालय राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खांखला में कार्यरत रहने तक प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में ही अपना सम्पूर्ण सेवाकाल में पदस्थापन रहा है जैसाकि उसके पदस्थापन विवरण

से स्पष्ट है। पदस्थापन के संबंध में अपीलार्थी ने प्रपत्र 10 प्रस्तुत कर रहा है जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खांखला महात्मा गांधी विद्यालय बनने से पूर्व वहां कार्यरत था और इससे पूर्व के सेवाभिलेख में वह प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रहा है। अपीलार्थी के प्रपत्र 10 में यह स्पष्ट उल्लेखित किया गया है कि अपीलार्थी की 6डी नहीं हुई है अर्थात वह पंचायती राज विभाग का ही कर्मचारी है और उसे प्रारम्भिक शिक्षा में ही पदस्थापन किया जा सकता है। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी जैसे कर्मचारी को बिना राजस्थान शिक्षा सेवा (राज्य एवं अधीनस्थ) नियम, 2021 के नियम 6 (3) के तहत माध्यमिक शिक्षा में किसी भी परिस्थिति में नहीं लगाया जा सकता है वे प्राथमिक सेटअप का कर्मचारी है इस विद्यालय के महात्मा गांधी होने के आधार पर माध्यमिक सेटअप में किया गया है अधिशेष हुए कर्मचारियों को नियमानुसार प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में ही समायोजित किया जाना चाहिये। इस संबंध में दिनांक 16–7–2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 6–8–2025 को शिक्षा विभाग ने अपनी गाईड लाईन भी जारी की है जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि जिन कर्मचारियों की राजस्थान शिक्षा सेवा (राज्य एवं अधीनस्थ) नियम, 2021 के नियम 6 (3) के तहत कार्यवाही नहीं हुई है उन्हें प्राथमिक शिक्षा में समायोजित किया जाय। अपीलार्थी ने इस संबंध में एक अभ्यावेदन दिनांक 7 अगस्त, 2025 को उचित माध्यम द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा को दिया। (अनुलग्नक–5) अपीलार्थी के अभ्यावेदन देने के पश्चात भी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जबकि अन्य कर्मचारियों ने भी इस आधार पर अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किये थे जिसके आधार पर विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक भीलवाडा द्वारा आदेश दिनांक 13–8–2025 पारित कर अधिशेष कर्मचारियों को प्रारम्भिक शिक्षा के विद्यालयों में समायोजित/स्थानान्तरण किया गया लेकिन अपीलार्थी को उसके अभ्यावेदन देने के पश्चात भी प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों में समायोजित नहीं किया गया। (अनुलग्नक–6) अपीलार्थी ने पुनः एक अभ्यावेदन जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय–माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने उक्त अभ्यावेदन मेल से 20 अगस्त, 2025 को व रजिस्टर्ड पोस्ट से 22 अगस्त, 2025 को भिजवाया। (अनुलग्नक–7) समान प्रकरण में अपील संख्या 2136/2025 धर्मेन्द्र विश्नोई बनाम शिक्षा विभाग में यह माना है कि यदि कार्मिक की 6डी नहीं हुई है तो उसके मूल विभाग प्रारम्भिक शिक्षा के निकटतम विद्यालय में पदस्थापन किया जाय। (अनुलग्नक–8)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 22–7–2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को उसके मूल विभाग

पंचायती राज (प्रारम्भिक शिक्षा) के निकटतम विद्यालय में पदस्थापन किये जाने का आदेश पारित किए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया।

प्रस्तुत अपील में आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.07.2025 को इस अधार पर चुनौती दी गई कि अपीलार्थी प्रारंभिक शिक्षा का कार्मिक है एवं महात्मा गांधी विद्यालय बनने से पहले वर्तमान विद्यालय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक खांखला था। अपीलार्थी की 6डी नहीं हुई है एवं अपीलार्थी पंचायती राज का कर्मचारी होने से उसकी प्रारंभिक शिक्षा में ही पदस्थापित किया जा सकता है एवं उसे किसी भी परिस्थिति में माध्यमिक शिक्षा में नहीं लगाया जा सकता। अपीलार्थी का तर्क है कि विभागीय आदेश दिनांक 16.07.2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 06.08.2025 के अनुसार जिन कर्मचारियों की नियम 2021 के नियम 6 (3) के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं है, उन्हें प्राथमिक शिक्षा में समायोजित किया जावे।

आलौच्य आदेश दिनांक के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभागीय आदेश दिनांक 16.07.2025 की पालना में महात्मा गांधी राजकीय (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालयों में अधिशेष अध्यापक लेवल–1 एवं लेवल–2 का समायोजन आलौच्य आदेश द्वारा किया गया है। जिसमें अपीलार्थी का पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, खांखला ब्लॉक सराड़ा से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाखोला बलॉक सराड़ा में किया गया है। दोनों एक ही ब्लॉक में है एवं अपीलार्थी ने नवीन स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने महात्मा गांधी विद्यालयों में चयनित कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष हुए कार्मिकों के समायोजन के संबांध में आदेश दिनांक 16.07.2025 द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए है। इसमें सामान्य निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद/विषय पर, उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जावे। अन्य पद/अन्य विषय के विरूद्ध पदस्थापन कतई नहीं किया जाए।
2. माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों (लेवल–1 व लेवल–2) को अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लगाया जावे। यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो तो ही उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाए।
3. जिले में अध्यापक लेवल–2 (सामाजिक विज्ञान ६ हिन्दीध्तृतीय भाषा) के पद रिक्त नहीं होने पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में शासन के परिपत्र क्रमांक प.5 (8) प्राशि /2016 दिनांक 28.05. 2019 के अनुसार अध्यापक लेवल–1 माना जाकर समायोजित किया जाये। इसके उपरान्त भी यदि माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक लेवल–2 (सामाजिक विज्ञान/हिन्दी/तृतीय भाषा) के कार्मिक अधिशेष रहते है तो अधिशेष कार्मिकों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग को समायोजन हेतु सुपुर्द किया जाये।

4. जिन अध्यापकों (लेवल–1 अथवा लेवल–2) के सम्बन्ध में राजस्थान शिक्षा सेवा (राज्य एवं अधीनस्थ) नियम, 2021 के नियम 6 (3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्यवाही नहीं की गई है, उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में ही अधिशेष मानते हुए पंचायतीराज पदों पर लगाया जावे।

उक्त विभागीय दिशा–निर्देश से स्पष्ट है कि जिन अध्यापक लेवल–1 एवं लेवल–2 के संबंध में 6(3) के तहत कार्यवाही नहीं हुई है, उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में ही अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पर लगाया जावे। क्योंकि वर्तमान में अपीलार्थी माध्यमिक सेटअप में कार्यरत है।

उक्त स्थिति में हमारा यह मानना है कि आलौच्य स्थानान्तरण आदेश विभागीय दिशा–निर्देश के अनुरूप है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा आदेश की अनुपालना की जा चुकी है। अतः आलौच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई विधिक आधार नहीं है।

अतः अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र सारहीन एवं बलहीन होने से इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष